तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टी0ए0/6608/2006/जयपुर** **नानू बनाम मोहन व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28-7-2023	 **खण्डपीठ** **श्री आर0डी0मीणा, सदस्य** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **उपस्थितः–** श्री अजीत लोढ़ा, अभिभाषक अपीलांट श्री सुरज मेहरा, अभिभाषक रेस्पो0 **निर्णय** यह अपील अंतर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर दिनांक 19–09–2006 प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलांटस 1 लगायत 3 ने एक दावा बाबत इस्तकारहक व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1/रेस्पो0 एक ही परिवार के सदस्य है। वादीगण एवं प्रतिवादी की संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी ग्राम नाथीका बास व रेनवाल में स्थित है। वह अपने पूर्वजों के समय से किये गये समझौते एवं विभाजन के अनुसार अपने–अपने हिस्से की भूमि को पृथक–पृथक रूप से काश्त करते आ रहे है। वादीगण/अपीलांट ने अपने वादपत्र के पैरा न. 5 में अंकित विवादित आराजी का स्वंय की अकेले की खातेदारी भूमि होने का उल्लेख किया गया, जिसमे प्रतिवादी संख्या 1/रेस्पो01 का कोई संबंध नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1/रेस्पो01 के हिस्से में कस्बा किशनगढ रेनवाल में स्थित भूमि अधिक आई थी। परीक्षण न्यायालय ने दावा व जवाब दावा के आधार पर तीन तनकीयात कायम करते हुये उभयपक्षों की सुनवाई करने के उपरांत अपने निर्णय दिनांक 30–05–2005 से वादीगण का वाद डिक्री कर दिया। परीक्षण न्यायालय के उक्त निर्णय की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 19–09–2006 से अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुये परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टी0ए0/6608/2006/जयपुर** **नानू बनाम मोहन व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दिनांक 03.05.2005 अपास्त कर दिया। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय से ग्रसित होकर यह द्वितीय अपील मंडल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण में पक्षकारों द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया है। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस राजीनामें पर सुनी गयी एवं पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड का भी अवलोकन किया। पक्षकारों के मध्य हुआ आपसी राजीनामा पत्रावली के साथ संलग्न है।

इस खण्डपीठ के समक्ष अपीलांट व रेस्पो0 पक्ष ने आदेश 23 नियम 3 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 अपीलांट संख्या 1 व 3 एवं रेस्पो0 संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो जाने के आधार पर उनके मध्य विचाराधीन वाद में अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.09.2006 निरस्त किया जावें एवं परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.05.2005 को यथावत रखा जावें। पक्षकारों ने उक्त प्रार्थना पत्र द्वारा निवेदन किया कि उक्त राजीनामें से उनके मध्य लंबे समय से लंबित विचाराधीन वाद का अंतिम निस्तारण संभव हो सकेगा।

अतः हम पक्षकारों के मध्य लंबे समय से विचाराधीन वाद का निस्तारण हो सके इसके लिये न्यायहित में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार योग्य होने से आंशिक स्वीकार किया जाना उचित समझते है। जिसके परिणामस्वरूप अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.09.2006 निरस्त किया जाता है एवं मूल ही अपील प्रकरण न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह पक्षकारों के मध्य विचाराधीन प्रकरण में संबंधित राजस्व रिकॉर्ड और उक्त राजीनामा प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टी0ए0/6608/2006/जयपुर** **नानू बनाम मोहन व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विधि अनुसार अंतिम निस्तारण किया जावें। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(रामनिवास जाट)** **(आर0डी0मीणा)** **सदस्य** **सदस्य**	